12

संख्या जी0आई0:– 2771 /7–1–2013–800(3877)/2011.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादूनः दिनांक 16 अगस्त जुलाई, 2013.

विषयः– जनपद–नैनीताल में नैनीताल वन प्रभाग के अन्तर्गत भवाली कक्ष संख्या–3 बी में श्री कैंची हनुमान मन्दिर तथा आश्रम ट्रस्ट को गौसदन, बागवानी एवं मन्दिर आदि हेतु पूर्व में दी गई 1.52 हे0 वन भूमि की लीज पर आगामी 30 वर्षों हेतु लीज नवीनीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 102/1जी–3497 (नैनी0) दिनांक 06–07–2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–नैनीताल में नैनीताल वन प्रभाग के अन्तर्गत भवाली कक्ष संख्या–3 बी में श्री कैंची हनुमान मन्दिर तथा आश्रम ट्रस्ट को गौसदन, बागवानी एवं मन्दिर आदि हेतु पूर्व में दी गई 1.52 हे0 वन भूमि की लीज पर आगामी 30 वर्षों हेतु लीज नवीनीकरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./09/199/2011/एफ0सी0/2497 दिनांक 15–05–2013 में प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर उसमें उल्लिखित शर्तों का समावेश करते हुए निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. **वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम–ओडावास्कोट, पटवारी क्षेत्र–उचाकोट, तहसील–बेतालघाट, जिला–नैनीताल में 3.04 हे0 अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(i) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।**
3. **वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन की गई उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।**
4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेंसी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेंसी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेंसी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रयोक्ता एजेंसी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
7. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

पा

8. सम्बन्धित वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुंचायें, इसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन्हें ईधन की लकड़ी अथवा अन्य ईधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।
9. प्रस्तावित वन भूमि में वृक्षों का पातन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही वन विभाग की पूर्वानुमति से उत्तराखण्ड वन विकास निगम के माध्यम से किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्यावर्तित वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने दिया जाये।
11. **प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यस्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।**
12. **प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।**
13. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण व आस–पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा करायी धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष को प्रेषित की जा चुकी है।**
14. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन पालन किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस क्षेत्र में पाये जाने वाली स्थानीय वनस्पतियों व वन्य जीवों को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
16. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
17. **प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं कार्यस्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।**
18. प्रश्नगत वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान **बाजार दर का मूल्य (प्रीमियम) एवं वार्षिक लीज रेन्ट** शासनादेश **संख्या–156/7–1–2005–500(826)/2002 दिनांक 09–09–2005 के प्रस्तर 3.1.3 के उप बिन्दु ii में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आंकलित कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि का मूल्य व लीज रेन्ट का भुगतान किया जायेगा।**
19. प्रयोक्ता **एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।**
20. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश सं0–198/7–जी.सी.–89–3–89, दिनांक 19–6–1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक "0070"–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01 की गई सेवाओं के लिये भुगतानों की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमाकर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
21. प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर प्रत्यावर्तित वन भूमि पर आर0सी0सी0 पिलरों से (फोर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीमॉकन किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 एवं शासनादेश संख्या– 156/7–1–2005–500(826)/2002 दिनांक 9–9–2005 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– 2771 /7–1–2013–800(3877)/2011 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, जनपद–नैनीताल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
7. सचिव, श्री कैंची हनुमान मन्दिर तथा आश्रम, कैंचीधाम, जनपद–नैनीताल।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।